"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई 2003—श्रावण 7, शक 1925

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक, 2003

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों पर कि या उनके पार्श्वस्थ निवास गृहों और स्थलों के बारे में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने के उपबन्ध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना तथा प्रारंभ.

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक, 2003 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है.

(3) यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को लागू होगा.

(4) यह 21 मई, 2003 से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "कृषि भूमि" से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी ऐसी भूमि जो कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती है,

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई उपखण्ड अधिकारी या कोई अन्य सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जिसे प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कलेक्टर द्वारा, ऐसे क्षेत्रों के लिए जो कि विनिर्दिष्ट किये जाएं, इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हैं,

(ग) "निवास गृह" के अंतर्गत झोपड़ी सम्मिलित है,

(घ) "वासस्थान" से अभिप्रेत है कृषि भूमि पर स्थित या उसके पार्श्वस्थ कोई निवास स्थान जो अपने आप में पूर्ण है और जो उसी कुटुम्ब के व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति के शामलाती हिस्सेदारी नहीं है उसके अंतर्गत ऐसे निवास गृह से उपाबद्ध या उसके सम्बद्ध प्रांगण, अहाता, उद्यान, पूजा का स्थान, कौटुम्बिक कब्रिस्तान, तालाब, कुआं, शौचालय, संडास, नाली तथा अहाते की दीवार आती है, जो 21 मई, 2003 को भूमिहीन व्यक्ति के वास्तविक भौतिक कब्जे में है,

(ङ) "भूमिहीन व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति या उसका कुटुम्ब जो कोई भूमि या निवासगृह धारण नहीं करता है,

(च) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है पत्नी, पुत्र, पुत्री, किसी पुत्र या पुत्री के पारम्परिक वंशज तथा भूमिहीन व्यक्ति पर आश्रित कुलवंश या विवाह द्वारा सम्बद्ध नातेदार,

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होंगे जो कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जिसे आगे भू-राजस्व संहिता कहा जाएगा) में उनके लिए दिए गये हैं.

अधिनियम का कतिपय वासस्थानों को लागू नहीं होना.

3. यह अधिनियम ऐसे वासस्थान को लागू नहीं होगा :—

(1) जो किसी स्थानीय प्राधिकार या धार्मिक विन्यास से संबंधित हो या निजी बागान या फलोद्यान पर अवस्थित हो, या

(2) जो किसी अनुसूचित जाति से संबंधित हो और 21 मई, 2003 को ऐसे व्यक्ति के कब्जे में हो जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, या

(3) अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो और ऐसे व्यक्ति के 21 मई, 2003 को कब्जे में हो जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है.

स्पष्टीकरण (1) अनुसूचित जाति के सदस्य से आशय ऐसी किसी जाति, मूलवंश या जनजाति या भाग या समूह जो जाति, मूलवंश, या जनजाति के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है.

(2) अनुसूचित जनजाति के सदस्य से आशय ऐसी किसी जनजाति या जनजाति समुदाय या जनजाति के अंतर्गत समूह या जनजाति समुदाय जो अनुसूचित जनजाति के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है.

वासस्थानों का निहित होना.

4. (1) किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी कृषि भूमि या उसके पार्श्व का कोई ऐसा वासस्थान, जो 21 मई, 2003 को किसी भूमिहीन व्यक्ति के दखल में है उक्त तारीख को ऐसे भूमिहीन व्यक्ति में, भूमिस्वामी अधिकारों में निहित हुआ समझा जायेगा बशर्ते वह वासस्थान उस तारीख के पूर्व एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक उसके कब्जे में रहा हो.

(2) भूमिहीन व्यक्ति में इस प्रकार वासस्थान के निहित हो जाने पर, मूल भू-धारी वासस्थान में समाविष्ट क्षेत्र का भूमिस्वामी नहीं रह जायेगा.

5. यदि वासस्थान के किसी ऐसे भूमिस्वामी दखलकार को ऐसे वासस्थान या उसके भाग से विधि के सम्यक् अनुक्रम के अन्यथा बेदखल कर दिया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, वासस्थान के उक्त दखलकार द्वारा, बेदखली की तारीख से छ: मास के भीतर आवेदन किया जाने पर, भू-राजस्व संहिता, की धारा 250 में अधिकथित प्रक्रिया का यथाशक्य निकटतम अनुसरण करके उसका कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा तथा क्षतिपूर्ति अधिनिर्णित करेगा.

कब्जे का प्रत्यावर्तन.

6. भू-राजस्व संहिता की धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील जिले के कलेक्टर को होगी.

प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील.

7. कलेक्टर द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा, सिवाय इसके कि राजस्व मण्डल, किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर कलेक्टर द्वारा पारित किये गये किसी ऐसे आदेश की वैधता अथवा उसके औचित्य के बारे में अथवा प्राधिकृत अधिकारी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में, अपना समाधान करने के प्रयोजन से किसी ऐसे मामले का जो ऐसे अधिकारी के समक्ष लंबित है या ऐसे अधिकारी द्वारा निपटाया जा चुका है अभिलेख मंगा सकेगा और उसका परीक्षण कर सकेगा तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे.

पुनरीक्षण.

परन्तु,

(एक) इस अधिनियम के अधीन अपील योग्य किसी आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्राह्य नहीं होगा.

(दो) ऐसा कोई आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व मण्डल के समक्ष पेश न किया गया हो और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो.

(तीन) पुनरीक्षण में किसी आदेश में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा या उसे तब तक उल्टा नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

8. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (क्र. 7 सन् 1870) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक आवेदन या पुनरीक्षण के किसी आवेदन पर 10 रुपये की कोर्ट फीस स्टाम्प लगेगा और प्राधिकृत अधिकारी या कलेक्टर द्वारा पारित किये गये आदेश की प्रति नि:शुल्क प्रदान की जायेगी.

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 से छूट.

9. किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले में, जिसके विनिश्चय के लिए विशिष्ट मंच तथा प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा विहित की गई है, कोई वाद ग्रहण करने या किसी वाद का विचारण करने या कोई अंतरिम व्यादेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होगी.

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.

10. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उसमें से किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये कोई भी नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार छत्तीसगढ़, जुलाई, 2003 में आगामी विधान सभा सत्र में एक नया छत्तीसगढ़ वास-स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक बनाना प्रस्तावित करती है.

यह विधेयक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि से संलग्न भूमि में निवासगृह या स्थान के संबंध में किसी भूमिहीन एवं आवासहीन व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने के लिये है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
तारीख 26 जुलाई, 2003

भूपेश बघेल
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) विधेयक के खण्ड-10 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है लेकिन यह सामान्य स्वरूप की है और अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत ही प्रयोग में लाई जा सकती है.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.